



सीमा शुल्क के आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
 जीएसटी भवन, 41/ए ससून रोड, पुणे-411001
GST BHAWAN, 41/A, SASSOON ROAD, PUNE-411001

4 अगस्त, 2022 को अपराह्न 03:30 बजे आयोजित 78वीं स्थायी व्यापार सुविधा समिति (पीटीएफसी) की बैठक का कार्यवृत्त

सीमा शुल्क आयुक्तालय, पुणे की 78वीं स्थायी व्यापार सुविधा समिति की बैठक 4 अगस्त, 2022 को अपराह्न 03:30 बजे श्री यशोधन वनगे, आयुक्त सीमा शुल्क, पुणे की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

2. व्यापार और उद्योग से निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया:-

क्र.स.	प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य का नाम	का प्रतिनिधित्व
1	श्री आर.डी.भार्गव	एमसीसीआईए
2	श्री प्रदीप काले	पीसीएचएए
3	श्री सोमनाथ जोशी	पीसीएचएए
4	श्रीभगवान सिंह	पीसीएचएए
5	श्री जालिंदर थिटे	डायनेमिक लॉजिस्टिक्स
6	श्री विनय एन शेलके	डायनेमिक लॉजिस्टिक्स आईसीडी दिघी
7	श्री तषार भंडारी	पीडब्ल्यूसी
8	श्री जे.एस. भुरभुरा	एयर इंडिया लिमिटेड
9	श्री. सईद मुल्ला	केएसएच, आईसीडी, तलेगांव
10	श्री संजय दलारे	एएआई
11	श्री सीमांत सुमन	एएआई
12	श्री मैल्कम डी सूजा	केएसएच, आईसीडी, तलेगांव

3. विभाग के निम्नलिखित अधिकारी बैठक में शामिल हुए:-

क्र.स.	अधिकारी का नाम	पदनाम/गठन
1	श्री यशोधन वनगे	आयुक्त
2	श्री. प्रतुल तिवारी	अपर आयुक्त
3	श्री ध्रुव शेषाद्रि	संयुक्त आयुक्त
4	श्री सचिन बी घाघरे	उपायुक्त, निवारक
5	श्रीमती सुमंगला शर्मा	उपायुक्त, तकनीकी
6	श्री.धनंजय कदम	उपायुक्त आईसीडी-तलेगांव, आईसीडी-भम्बोली
7	श्री एम.के.एस. मूर्ति	सहायक आयुक्त, प्रशासन
8	श्रीमती उषा सोमकुवर	अधीक्षक तकनीकी-III (टीपीएससी)
9	श्रीमती सुनीता जगताप	अधीक्षक तकनीकी-III
10	श्रीमती सावनी कूलकर्णी	अधीक्षक तकनीकी-III (टीपीएससी)

4. अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सभी पीटीएफसी सदस्यों, विभाग के अधिकारियों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले लोगों का स्वागत किया।

5. श्री ध्रुव शेषाद्रि, संयुक्त आयुक्त ने सदस्यों को पिछली पीटीएफसी बैठक में उठाए गए बिंदुओं के संबंध में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी।

30 दिसंबर 2021 को 15:00 बजे आयोजित 76वीं स्थायी व्यापार सुविधा समिति की बैठक में उठाए बिन्दुओं के अनुपालन पर चर्चा की गई:-

बिंदु क्रमांक 8: लंबित एफएस आवेदन

श्री विनोद शर्मा ने बताया कि, आईसीडी दिघी ने एयर फ्रेट स्टेशनों के लिए आवेदन किया है

लेकिन ये आवेदन दिल्ली में लंबित है। एएफएस की अनुमति की प्रक्रिया में काफी समय लग रहा है।

की गई कार्रवाई:- कस्टोडियन ने सूचित किया है कि वे एयर फ्रेट स्टेशन पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 28-10-2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी.13011/03/2013-ईआर और परिपत्र संख्या 50/2020-सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क दिनांक 5-11-2020 के तहत जारी नीति दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के संकलन की प्रक्रिया में हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों के संकलन के बाद, वे शीघ्र ही आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ नया आवेदन जमा करेंगे।

9 मई 2022 को 15:30 बजे आयोजित 77वीं स्थायी व्यापार सुविधा समिति की बैठक में निम्न बिन्दुओं के अनुपालन पर चर्चा की गई:-

बिंदु संख्या 1: पुणे हवाई अड्डे पर लंबित ड्राबैक राशि (एक्विजम प्रबंधन सेवाओं से श्री आनंद परांजपे द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछा गया।)

श्री आनंद परांजपे ने बताया कि पुणे हवाई अड्डे की डीबीके राशि लंबित होने के कारण वे समस्या में आ गए हैं - वास्तव में कोविड से पहले उनकी टीम कर्मचारियों के संपर्क में थी और पाया कि पुणे हवाई अड्डे के सीमा शुल्क के पास निर्यातकों को डीबीके राशि जमा करने के लिए बैंक खाता नहीं है - सार्वजनिक सूचना के साथ फॉर्म भी जमा किए गए और वे इसकी स्थिति जानना चाहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि स्कॉल 2018 से लंबित थे।

की गई कार्रवाई:- इस संबंध में डीसी एयरपोर्ट द्वारा सूचित किया गया कि सीमा शुल्क विभाग की ओर से कोई कमी लंबित नहीं है। सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, क्योंकि स्कॉल तैयार हो गया है और भारतीय स्टेट बैंक ट्रेजरी शाखा, पुणे को भेज दिया गया है। यदि कोई डीबीके लंबित है, तो देरी बैंक की ओर से है। उनसे विशिष्ट विवरण, यदि कोई हो, साझा करने के लिए भी कहा गया।

बिंदु संख्या 2: पुणे हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क निकासी में मुद्दे (एक्विजम प्रबंधन सेवाओं से श्री आनंद परांजपे द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछा गया।)

श्री आनंद परांजपे ने आगे बताया कि उन्हें निर्यात के लिए दायर किए गए सभी शिपिंग बिलों के मूल्यांकन और शुल्क से संबंधित दस्तावेजों के प्रसंस्करण के लिए पुणे एयर पोर्ट पर कुछ सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता है। वह सीमा शुल्क अधीक्षक श्री राजेश दीक्षित के आभारी हैं, जो बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मूल्यांकन के लिए मुख्यालय और फिर मंजूरी के लिए हवाई अड्डे और फिर आवश्यकतानुसार एलईओ के लिए ले गए।

की गई कार्रवाई:- संबंधित अधिकारी ने एयर पोर्ट एंटी पास के लिए आवेदन किया है और वह एआईओ डिवाइस में ईडीआई पोर्टल तक पहुंच प्राप्त करेगा, जिसे पुणे हवाई अड्डे पर रखा गया है।

बिंदु संख्या 3: गेट वे ईजीएम त्रुटि (ईडीआई ईजीएम सिस्टम का प्रतिनिधित्व करने के लिए मदद की आवश्यकता है) (एक्विजम प्रबंधन सेवाओं से श्री आनंद परांजपे द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछा गया।)

श्री आनंद परांजपे ने यह भी बताया कि वे आईसीडी दिघी से शिपमेंट कर रहे हैं, जहां उन्होंने पाया कि आईजीएसटी और डीबीके दोनों को गेट वे ईजीएम त्रुटियों के कारण पार्टी खाते में जमा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने गेट वे ईजीएम तिथि की समस्या का सामना करने पर एक पत्र प्रस्तुत किया है - यह गेट वे ईजीएम तिथि ऑन बोर्ड तिथि होनी चाहिए, लेकिन लाल रंग में चिह्नित करने के कारण यह तिथि शिपिंग बिल तिथि से पहले / एलईओ शिपिंग तिथि से पहले और स्थानीय ईजीएम तिथि से पहले की तिथि है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मेल में एक फाइल संलग्न की है जिसमें ऐसे 468 लंबित मामलों की सूची है।

उपायुक्त ने पूछा कि समस्या ट्रांजिट में भी है या सिर्फ ईजीएम गेटवे में है। श्री आनंद ने जवाब

दिया कि समस्या सिर्फ ईजीएम गेटवे में है. तब उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि वे निश्चित रूप से इस मामले को देखेंगे और इसे जल्द से जल्द हल करेंगे और श्री आनंद को इस बीच गेटवे पोर्ट के साथ संवाद करते रहने के लिए भी जोर दिया।

की गई कार्रवाई:- डीसी, आईसीडी दिघी ने पहले ही 18 फरवरी 2022 को जेएनसीएच, न्हावा शेवा के डीसी, ईजीएम समन्वय सेल के साथ मामला उठाया है। और उसका उत्तर प्रतीक्षित है।

बिंदु संख्या 4: शिपिंग बिल संबंधी प्रश्न सिस्टम में हल नहीं हो रहा है। (सैमसन फ्रेट से कैप्टन आशीष समर्थ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछा गया)

सैमसन फ्रेट के कैप्टन आशीष समर्थ ने कहा कि शिपिंग बिल पर एक प्रश्न उठाया गया था और उस प्रश्न का उत्तर देने के बाद भी यह अभी भी सिस्टम में लंबित है जैसे कि इसका उत्तर ही नहीं दिया गया हो। नये शिपिंग बिल दाखिल कर मामला सुलझा लिया गया है।

6. 77वीं पीटीएफसी बैठक के लिए ट्रेड द्वारा कोई अंक प्रस्तुत नहीं किया गया। हालाँकि, बोर्ड के 2022 के परिपत्र संख्या 11 के अनुसार 24*7 काम करने वाले आईसीडी के पहलू पर नीचे चर्चा की गई थी।

का बिंदु क्रमांक 1 परिपत्र क्रमांक 11 दिनांक 29.07.2022

2022 के परिपत्र संख्या 11 में, बोर्ड ने आईसीडी के साथ सभी संरचनाओं को 24*7 मंजूरी के लिए जाने की संभावना की जांच करने और उसी के संबंध में व्यापार से प्रतिक्रिया लेने का निर्देश दिया है। इसलिए व्यापार सदस्यों से पुणे सीमा शुल्क आयुक्तालय में आईसीडी से 24*7 निकासी पर अपने विचार और राय देने के लिए कहा गया था। पीसीएचएए के श्री प्रदीप काले ने कहा कि व्यापार प्रतिनिधि आपस में चर्चा करेंगे और शीघ्र ही अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेंगे

कार्रवाई:- पीसीएचएए

7. आयुक्त सीमा शुल्क पुणे ने सभी को उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देकर 78वीं पीटीएफसी बैठक की कार्यवाही समाप्त की।

Signed by Pratul Tiwary
Date: 21-09-2022 13:58:02

प्रतुल तिवारी
अपर आयुक्त,
सीमा शुल्क आयुक्तालय, पुणे

फा.सं. VIII/Cus/Tech/48-97/PTFC/15-16/Pt.III
पुणे, 15/09/2022

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. करदाता सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली - 110 109
2. निदेशक (सीमा शुल्क), सीबीईसी, नई दिल्ली
3. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, पुणे क्षेत्र
4. उप/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त सभी कस्टम आईसीडी/पुणे हवाई अड्डे/एयर कार्गो
5. उप/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/दापोली डिवीजन
6. पीटीएफसी, पुणे के सभी सदस्य
7. पीसीएचएए/एमसीसीआईए/डीसीसीआईए, पुणे
8. डीजीएफटी, पुणे
9. नोटिस बोर्ड और वेबसाइट/ईडीआई अनुभाग
10. मास्टर फ़ाइल